

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-2249 / 2014संस्थित दिनांक-19.12.14

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. गंगासिंह पुत्र प्रकाशसिंह कुशवाह उम्र 26 साल
निवासी घोसीपुरा, वार्ड क0 3 बहोडापुर ग्वालियर
2. दीपक पुत्र कप्तानसिंह मोगिया उम्र 23 साल
3. भूरा उर्फ वीरेन्द्र पुत्र धुन्धी यादव उम्र 24 साल
4. छोटू उर्फ रंजीत पुत्र गजेन्द्रसिंह जाटव
निवासी गण गली नं0 5 चन्द्रबदनी नाका
झांसी रोड ग्वालियर

.....अभियुक्तगण

--: निर्णय :-**{आज दिनांक 12.03.18 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 457, 380 के अधीन आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.12.14 को रात्रि 1 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड सतनाम सरदार एयरटेल टॉवर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर 15 बैटरी कीमत 1,45,000 रुपये की चोरी कारित की तथा उक्त चोरी कारित करने के आशय से उक्त टॉवर में प्रवेश कर ग्रहभेदन या रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 06.12.14 को रात्रि करीब एक बजे एयरटेल सर्वर डाउन होने की सूचना फरियादी ध्यानेन्द्रसिंह को मोबाईल पर प्राप्त हुई तो वह राजाशाह के साथ गोहद चौराहे पर आया। उसने देखा कि गोहद चौराहे पर भिण्ड ग्वालियर रोड पर एयरटेल टॉवर के पास एक मैजिक गाडी नंबर एम0पी0-07 एल0-0483 रखी दिखी, जो उन्हें देखकर जाने लगी तब उन्होंने टॉवर में जाकर देखा तो सेल्टर का ताला खुला था, बैटरी नहीं दिखी। उक्त मैजिक गाडी का पीछा किया तो देखा कि एच0बी0एल0 कंपनी की 11, एन0ई0डी0 कंपनी की 2 तथा अमर राजा कंपनी की 2 बैटरियां कुल 15 बैटरी कीमत 1,35,000 रुपये की चोरी हो गयी थी। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0 274/14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ कर मेमोरेण्डम लिए, उनकी निशांदेही पर बैटरी तथा मैजिक गाडी जब्त की गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या दिनांक 06.12.14 को रात्रि 1 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड सतनाम सरदार एयरटेल टॉवर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर 15 बैटरी कीमत 1,45,000 रुपये की चोरी हुई ?
2. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.12.14 को रात्रि 1 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड सतनाम सरदार एयरटेल टॉवर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर 15 बैटरी कीमत 1,45,000 रुपये की चोरी कारित की ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय तथा स्थान पर अभियुक्तगण ने उक्त चोरी कारित करने के आशय से उक्त टॉवर में प्रवेश कर ग्रहभेदन या रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में ध्यानेन्द्रसिंह अ०सा० 1, राजाशाह अ०सा० 2, गोपसिंह अ०सा० 3, राजेन्द्रसिंह अ०सा० 4, संजय वर्मा अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. फरियादी ध्यानेन्द्र अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उनके साक्ष्य दि० 17.12.15 से एक साल पहले रात्रि 10-11 बजे वे घर पर थे। उन्हें टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि साईड डाउन हो गयी है। उस समय वे एयरटेल कंपनी में टैक्नीशियन के पद पर पदस्थ थे। फिर वे गोहद चौराहा स्थित टॉवर पर पहुंचे, साथ में राजाशाह चालक भी था। उन्होंने देखा कि सेल्टर के ताले टूटे पड़े थे। उन्हें देखकर कुछ लडके सेल्टर से भागने लगे, उनका चेहरा वह नहीं देख पाया था। अंदर जाकर देखा तो पाया कि बैटरियां निकल ली गयी थी। 15-16 बैटरियां गायब हुई थी, उक्त बैटरिया एन०बी०एन०, एन०ई०डी० तथा अमर राजा कंपनी की थी। पहले तो जो लोग भागे थे उनका पीछा किया इसके बाद थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट प्रपी० 1 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में कथित बैटरियों के कोई नंबर नहीं बताते और न ही कथित बैटरियां जिन लडकों द्वारा लोडिंग से भाग जाने का कथन किया है, कथित लोडिंग कौनसे नंबर की थी तथा लडके कौन थे। राजाशाह अ०सा० 2 भी ध्यानेन्द्र अ०सा० 1 के समान ही कथन करते हैं और बताते हैं कि वे गाड़ी लेकर गोहद चौराहा गए थे तो देखा कि सेल्टर के लॉक वगैरह टूटे पड़े थे। इसके बाद ध्यानेन्द्र ने रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में

कथन करता है कि उसने नहीं देखा कि कौन व्यक्ति बैटरियां चुराकर ले गए थे। अभियोजन पक्ष ने उक्त दोनों साक्षियों को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए, जिनमें साक्षियों ने कथित लोडिंग मैजिक गाडी एम0पी0-07 एल-0483 से कथित बैटरियां चोरी किए जाने के तथ्य के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। राजाशाह ने भी मात्र मैजिक गाडी से चोरी करने का तथ्य स्वीकार किया है किन्तु उसका नंबर पूछे जाने पर इंकार किया है।

7. प्रकरण में फरियादी ध्यानेन्द्र द्वारा 15-16 बैटरी चोरी होने का कथन अवश्य किया है, किन्तु बैटरियों के नंबर अपने अभिसाक्ष्य में नहीं बताए हैं। साथ ही ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि कथित एयरटेल मोबाईल टॉवर में किस किस क्रमांक की बैटरी लगी थी। सूचक प्रश्न में साक्षी को प्र0पी0 1 की प्राथमिकी एवं प्र0पी0 3 में उल्लेखित बैटरी के नंबर पढ़कर सुनाए जाने पर कथन किया है कि रिकार्ड देखकर नंबर बताए होंगे, किन्तु साक्ष्य दिनांक को याद न होने का कथन करते हैं। गोपसिंह अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उनके द्वारा फरियादी ध्यानेन्द्र की रिपोर्ट से 15 बैटरी चोरी होने की प्राथमिकी लेख की गयी है, प्राथमिकी प्र0पी0 1 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि जिस समय फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई थी, उस समय चोरी गए माल के संबंधित दस्तावेज नहीं दिए थे और यह भी स्वीकार करते हैं कि जिन बैटरियों के नंबर एफआईआर में लेख हैं उस संबंध में कोई कागज एफआईआर लेख कराते समय फरियादी द्वारा नहीं दिए गए थे। प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तगण की ओर से साक्षियों को यद्यपि चुनौती नहीं दी गयी है किन्तु स्पष्ट रूप से अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि कथित घटना दिनांक 06.12.14 को उक्त एयरटेल टॉवर से कौन कौनसी बैटरियां चोरी हुई थी।

8. फरियादी ध्यानेन्द्र अ0सा0 1 तथा राजाशाह अ0सा0 2 कथित घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए हैं, जो कि अपने अभिसाक्ष्य में एयरटेल टॉवर की बैटरी मैजिक गाडी में बैठे लोगों द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में कथन करते हैं। उक्त दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट कथन करने में अस्मर्थ हैं कि कितने व्यक्ति थे जो कि कथित मैजिक गाडी पर मौजूद थे। अभियोजन की ओर से प्रकरण में साक्षियों के द्वारा कथित लडके अभियुक्तगण ही थे, इस संबंध में उनकी अपराध में संलिप्तता को अनन्यता प्रमाणित किए जाने हेतु कोई शिनाख्ती संबंधी कार्यवाही नहीं कराई गयी है। इस प्रकार से अभियुक्तगण के द्वारा कथित बैटरियां चोरी किए जाने के संबंध में कोई भी सारवान प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं हैं। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है।

9. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता राजेन्द्रसिंह अ0सा0 4 परीक्षित कराए गए हैं, जो कि दि0 07.12.14 को अभियुक्तगण से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधि0 का मेमोरेण्डम क्रमशः प्रपी0 5 लगायत 8 लिए

जाने और उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर प्राप्त जानकारी से अभियुक्त गंगासिंह से टाटा मैजिक लोडिंग गाडी व 4 बैटरी, दीपक से 4 बैटरी, भूरा से 4 बैटरी तथा रंजीत से 3 बैटरियां जब्ती पत्रक क्रमशः प्र0पी0 9 लगायत 13 के अनुसार जब्त किए जाने का कथन करते हैं। अभियुक्तगण को उक्त दिनांक को ही गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 14 लगायत 17 बनाए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय हैं कि जब्ती पत्रक प्र0पी0 9 व 10 अभियुक्त गंगासिंह से प्राप्त जानकारी के आधार पर जब्त किए जाने के संबंध में तथ्य दर्शित करते हैं। प्र0पी0 17 का गिर0 पत्रक अभियुक्त गंगासिंह की गिर0 दिनांक 17.12.14 को दोपहर 13 बजे के समय के उल्लेख के साथ है और उसका मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 दोपहर 1:10 बजे लिया जाना लेख किया गया है, जबकि जब्ती पत्रक प्र0पी0 9 गिरफ्तारी के पूर्व ही अर्थात् 12:40 बजे निष्पादित किया जाना दर्शित है। इस प्रकार से अभियुक्त की गिरफ्तारी के पूर्व ही प्र0पी0 9 के अनुसार कथित टाटा मैजिक लोडिंग एम0पी0-07 एल-0483 को जब्त किए जाने के संबंध में तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं।

10. प्रकरण में प्र0पी0 5 लगायत 17 के दस्तावेज दिनांक 07.12.14 को विभिन्न स्थानों पर ग्वालियर में निष्पादित किया जाना बताए गए हैं, जिनके संबंध में अनुसंधानकर्ता राजेन्द्रसिंह अ0सा0 4 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में अपनी रवानगी के संबंध में रोजनामचा सान्हा में रवानगी अंकित किए जाने का कथन करते हैं, किन्तु प्रकरण में कोई रवानगी रोजनामचा प्रस्तुत न किए जाने का तथ्य स्वीकार करते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 5 लगायत 17 के दस्तावेज में साक्षी के रूप में आरक्षक संजय एवं राजाशाह के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें कण्डिका 2 में साक्षी अपने साथ ले जाने का कथन करता है। राजाशाह अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में उसके समक्ष किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी, उससे पूछताछ किए जाने अथवा किसी अभियुक्त से कोई भी संपत्ति जब्त किए जाने का समर्थन नहीं करता है और न ही अभियोजन द्वारा उक्त बिंदु पर साक्षी को सूचक प्रश्नों में कोई सुझाव दिया गया है। संजय वर्मा अ0सा0 5 थाना गोहद चौराहे का आरक्षक है, जो कि अनुसंधानकर्ता के साथ जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से कोई भी ऐसा साक्षी जो कि जब्ती स्थल, गिर0 स्थल अथवा मेमो के स्थान के आसपास का साक्षी हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं हैं। किसी स्वतंत्र व्यक्ति को प्रकरण की कार्यवाही का साक्षी क्यों नहीं बनाया गया, इस संबंध में राजेन्द्र अ0सा0 4 कथन करते हैं कि कोई साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेख भी नहीं है कि किस व्यक्ति से अनुसंधानकर्ता से साक्षी के रूप में संयोजित होने को कहा और उसने इंकार किया हो।

11. जब्तीकर्ता राजेन्द्रसिंह अ0सा0 4 कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कथित बैटरियां क्रय किए जाने के संबंध में न तो फरियादी से कोई दस्तावेज मांगा और न फरियादी ने दिया। साक्षी अभियुक्तगण के बताए अनुसार उनके घर से बैटरियां जब्त होने का कथन करते हैं, किन्तु

प्रतिपरीक्षण में बार बार स्वीकार करते हैं कि किसी स्वतंत्र स्थानीय व्यक्ति को उन्होंने कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया है। रवानगी रोजनामचा के संबंध में भी साक्षी कण्डिका 4 एवं 6 में प्रस्तुत न किए जाने का तथ्य प्रकट करते हैं। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता की कार्यवाही की निष्पक्षता को समर्थित करने के लिए मात्र संजय वर्मा अ0सा0 5 का अभिसाक्ष्य अभिलेख पर रह जाता है। संजय वर्मा अ0सा0 5 मुख्य परीक्षण में अनुसंधानकर्ता के कथन का समर्थन करते हैं। उक्त कार्यवाही में उसके साथ राजाशाह के होने का भी कथन करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताने में अस्मर्थ है कि किस रोजनामचा सान्हा पर रवानगी डालकर गए थे और किस रोजनामचा सान्हा पर वापसी इन्द्राज किया था। साक्षी कण्डिका 4 में ही थाने पर 5-5:30 बजे वापस आ जाने का कथन करते हैं, जबकि प्रपी0 13 के जब्ती पत्रक अनुसार उक्त कार्यवाही दिनांक 07.12.14 को 16:30 बजे अर्थात् शाम 4:30 बजे किया जाना लेख है तो इतने कम समय में थाने पर वापस किस प्रकार से आ गया यह तथ्य संदेह दर्शित हो रहा है। कण्डिका 6 में स्वीकार करते हैं कि जब्तशुदा बैटरियों पर कोई नमूना सील अंकित नहीं किया गया था। प्र0पी0 10 लगायत 13 के जब्ती पत्रकों में कॉलम नंबर 13 नमूना सील में कोई नमूना अंकित नहीं हैं।

12. प्रकरण में कथित जब्तशुदा बैटरी को सीलबंद कर वापस लाया गया हो, इस संबंध में अभिलेख पर तथ्य मौजूद नहीं हैं। जब्तशुदा बैटरियों की अनन्यता को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से यह तथ्य स्थापित नहीं किया जा सका है कि कथित चोरी हुई बैटरियां किन सरल क्रमांक की थी। कथित जब्तशुदा बैटरियां क्या वे ही बैटरियां थी जो कि कथित रूप से चोरी हुई। प्रकरण में जब्तशुदा बैटरियों की पहचान को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में कोई भी शिनाख्त कार्यवाही निष्पादित किया जाना सुनिश्चित नहीं कराया गया, ऐसी दशा में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्तगण से जब्ती पत्रक अनुसार कथित बैटरियां जब्त हुई थी, तो भी उक्त कथित बैटरियां वे ही थी जिनकी चोरी हुई थी, इस संबंध में कोई भी सारवान सुसंगत तथ्य अभिलेख पर मौजूद नहीं हैं।

13. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल

करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 06.12.14 को रात्रि 1 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड सतनाम सरदार एयरटेल टॉवर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर 15 बैटरी कीमत 1,45,000 रुपये की चोरी कारित की तथा उक्त चोरी कारित करने के आशय से उक्त टॉवर में प्रवेश कर ग्रहभेदन या रात्रोप्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

16. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति के वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो तथा जब्तशुदा बैटरियां तीन माह में दावा न किए जाने की दशा में राजसात की जावे। नीलामी द्वारा विक्रय कराकर विक्रय की राशि को भविष्य में दावा होने की दशा में लौटाया जा सके।

17. यदि अभियुक्तगण इस प्रकरण में निरोध में रहे हो, तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)